न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़, जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा **आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. नंबर :- **Reg.Cri.Case/85/2024**
सी एन आर नंबर :- **RJBD140002102024**

निर्णय दिनांकः- 10.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 199/2023 अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**जगदीश प्रसाद राठौर** पुत्र केसरीलाल निवासी कुम्हारों का चौक, तेलीपाड़ा पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी जिला बून्दी (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री त्रिलोकी नाथ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	01.09.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	04.10.2023
आरोप पत्र की तिथि	04.04.2024
आरोप के विरचना की तिथि	04.04.2024
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	22.05.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	10.03.2026
निर्णय की तिथि	10.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**जगदीश प्रसाद राठौर**	-	-	धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	गुड्डी बाई	फर्द तहरीरी रिपोर्ट व नक्शा मौका

अभियोजन साक्षी-2	मनोज	फर्द तहरीरी रिपोर्ट व नक्शा मौका
अभियोजन साक्षी-3	नरेन्द्र	फर्द डैमेज मोटराईकिल
अभियोजन साक्षी-4	ओमप्रकाश	फर्द डैमेज मोटरसाईकिल
अभियोजन साक्षी-5	भूपेन्द्र सिंह	एक्सरेकर्ता साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	डॉ. अहमद हुसैन भुट्टा	चिकित्सकीय साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	राजबहादुर	मैकेनिकल मुआयनाकर्ता साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	बाबूलाल	अनुसंधान साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–1, 2, 8
2.	प्रदर्श पी-2	चाक एफ.आई.आर.	अभि. साक्षी–1, 2, 8
3.	प्रदर्श पी-3	फर्द नक्शा मौका	अभि. साक्षी–1, 2, 3, 4, 8
4.	प्रदर्श पी-4	फर्द डैमेज मोटरसाईकिल	अभि. साक्षी–2, 3, 4, 7
5.	प्रदर्श पी-5	एक्सरे कवर नोट मनोज	अभि. साक्षी–5
6.	प्रदर्श पी-6	एक्सरे प्लेट मनोज	अभि. साक्षी–5
7.	प्रदर्श पी-7	एक्सरे कवर नोट सत्यनारायण	अभि. साक्षी–5
8.	प्रदर्श पी-8	एक्सरे प्लेट सत्यनारायण	अभि. साक्षी–5
9.	प्रदर्श पी-9	एक्सरे प्लेट सत्यनारायण	अभि. साक्षी–5
10.	प्रदर्श पी-10	एक्सरे प्लेट सत्यनारायण	अभि. साक्षी–5
11.	प्रदर्श पी-11	चोट प्रतिवेदन मनोज	अभि. साक्षी–6
12.	प्रदर्श पी-12	चोट प्रतिवेदन सत्यनारायण	अभि. साक्षी–6
13.	प्रदर्श पी-13	मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	अभि. साक्षी–7
14.	प्रदर्श पी-14	मेडिकल मुआयना हेतु तहरीर	अभि. साक्षी–8
15.	प्रदर्श पी-15	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट	अभि. साक्षी–8
16.	प्रदर्श पी-16	फर्द जब्ती वाहन कार	अभि. साक्षी–8

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव फरियादीगण गुड्डी बाई व मनोज द्वारा पुलिस थाना इन्द्रगढ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–199/2023 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक दिनांक 01.09.2023 को प्रार्थिया का पुत्र सत्यनारायण व मनोज दोनों दोस्त ग्राम भटवाड़ा से बरवाड़ा माताजी के दर्शन करने के लिए मोटरसाईकिल स्प्लेण्डर संख्या आर.जे.28 एस.जेड. 1459 से गये थे और माताजी के दर्शन करने के बाद लौटते समय उसका पुत्र सत्यनारायण मोटरसाईकिल चला रहा था, तो कोटा–दौसा मेगा हाईवे पर टोल नाका से कुछ दूरी पर आगे से आ रही वेगनआर गाड़ी संख्या आर. जे.08 सी.बी. 6170 ने समय 03–04 बजे करीब गफलत व लापरवाही से तेजगति से उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों दोस्त रोड पर गिर गये तथा उसके पुत्र को भयंकर चोटें आईं, जिससे उसके पुत्र के सिर में चोट आई तथा हाथ फ्रैक्चर है और मनोज को भी चोटें आईं। राहगीरों द्वारा इन्द्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र लाया गया और वहां से एम.बी.एस. हॉस्पिटल में 108 एम्बूलेंस से रेफर किया गया। कोटा एम.बी.एस. हॉस्पिटल में कुछ देर इलाज चला, उसके बाद वे उसको आगे इलाज के लिए जायसवाल हॉस्पिटल कोटा ले गये, जिसका इलाज वहीं चल रहा है, जो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। उसके पुत्र के दोस्त मनोज, जो मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा हुआ था, के भी चोटें आई हैं। मोटरसाईकिल मनोज की थी। वह उसके पुत्र का इलाज करवाने में व्यस्त थी,

जिस कारण से रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ सकी........इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 गुड्डी बाई, पी.ड.02 मनोज, पी.ड.03 नरेन्द्र, पी.ड.04 ओमप्रकाश, पी.ड.05 भूपेन्द्र सिंह, पी.ड.06 डॉ. अहमद हुसैन भुट्टा, पी.ड.07 राजबहादुर व पी.ड.08 बाबूलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.16 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.09.2023 को समय 03–04 पी.एम. के लगभग कोटा–दौसा मेगा हाईवे पर, टोल नाका के पास वाहन वेगनआर कार रजि. नं. आर.जे.08–सी.बी.–6170 का चालक होते हुए उसे गफलत व लापरवाही पूर्वक इस प्रकार चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापित होना संभाव्य था व तेज गति से चलाकर आहतगण सत्यनारायण व मनोज की की मोटरसाईकिल रजि. नं. आर.जे.28–एस.जेड. –1459 के टक्कर मार दी जिसके फलस्वरूप आहतगण सत्यनारायण व मनोज के साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई ?"

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 गुड्डी बाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना एक साल पहले की बात है। उसका लडका सत्यनारायण मनोज के साथ इन्द्रगढ़ आया था। उसको मनोज ने मोबाईल से सूचना दी कि उसके लडके का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो उनके गांव से इन्द्रगढ़ आये जहा से वो मेरे लडके कोटा अस्पताल लेकर गये। घटना की रिपोर्ट उसने थाना इन्द्रगढ़ में तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवायी जो प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 मनोज ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.09.2023 को शाम तीन–चार बजे की बात है। उस दिन वह और सत्यनारायण मोटरसाईकल से बरवाडा से वापस आ रहे थे, तभी सामने से एक फोरव्हीलर आ रही थी। जिसने उनकी मोटरसाईकल के टक्कर मार दी। फोरव्हीलर गाडी के नं. आर जे 08 सीबी 6170 थे। टक्कर लगने से वो दोनो नीचे गिर गये। फिर उन्हे राहगीरो ने जीप से उठाकर इन्द्रगढ़ अस्पताल लेकर गये जहा से कोटा रैफर कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने गुडडी बाई के साथ थाना इन्द्रगढ में दी जो प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व फर्द डेमेज मोटरसाईकल प्रदर्श पी 04 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 नरेन्द्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 पर उसके हस्ताक्षर है। यह नक्शा मौका कोटा दौसा मेघा हाईवे टोल टेक्स के पास का है। यह नक्शा मौका दिनांक 06.10.2023 को बनाया था जो उनके रिश्तेदार सत्यनारायण व मनोज के एक्सीडेंट के संबंध में बनाया था। फर्द डेमेज मोटरसाईकल प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 पर उसके हस्ताक्षर है। यह नक्शा मौका कोटा दौसा मेघा हाईवे टोल टेक्स के पास का है। यह नक्शा मौका 2023 में बनाया था जो उनके रिश्तेदार सत्यनारायण व पुत्र मनोज के एक्सीडेंट के संबंध में बनाया था। फर्द डेमेज मोटरसाईकल प्रदर्श पी 04 पर उसके हस्ताक्षर है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 भूपेन्द्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 06.10.2023 को सीएचसी इन्द्रगढ पर सहायक रेडियोग्राफर के पद पर कार्यरत था। उस दिन डॉक्टर गणेशलाल जी के प्रतिवेदन पर मजरूब मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी मांगरोल जिला बांरा के दाहिने हाथ का अंगुलियों सहित एक्सरे किया था, एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 05 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 06 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.11.2023 को डॉक्टर गणेशलाल के प्रतिवेदन पर मजरूब सत्यनारायण निवासी मांगरोल बारां का बायीं कलाई व सिर का एक्सरे किया था, एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 07 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है, और सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है। एक्सरे प्लेट क्रमश : प्रदर्श पी 08 लगायत 10 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 डॉ. अहमद हुसैन भुट्टा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 01.09.2023 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब मनोज पुत्र ओमप्रकाश जाति माली निवासी

बटवाडा की चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटे थी। चोट संख्या 1 दाये गाल पर खरोच नीलगू कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2 रगड का निशान जो होठ के उपर कारित थी। चोट संख्या 3 खरोच नीलगू दाये हाथ की तर्जनी अगुली पर कारित थी। चोट संख्या 1 व 2 कुन्द हथियार से कारित थी। तीनो चोटों की अवधि ताजा थी। चोट संख्या 3 के लिए एक्सरे की राय दी गई थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 3 गंभीर प्रवृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 11 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व उसकी राय है। उसी दिन उसने मजरूब सत्यनारायण पुत्र पप्पूलाल निवासी बरवाडा की चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी। चोट संख्या 1 नीलगू बाये पैर के टखने पर कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 2 खरोच बायी आंख पर कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 3 खरोच जबडे के दाये हिस्से पर कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 4 सूजन बाये कोहनी पर जो गंभीर प्रवृति की थी एंव कुन्द हथियार से कारित थी। चोट संख्या 4 के लिए एक्स–रे की राय दी गयी थी, बाद एक्स–रे चोट संख्या 4 गंभीर प्रवृति की पायी गयी थी। चोट संख्या 5 सिर पर कारित थी, दानों साईड के हिस्से फैक्चर थे, चोट संख्या 5 के लिए एक्स–रे की राय दी गयी थी। चोट संख्या 5 गंभीर प्रवृति की पायी गयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व उसकी राय है। दिनांक 06.10.2023 व 28.11.2023 को मनोज कुमार व सत्यनारायण का एक्स–रे प्राप्त हुआ था जिस पर उसकी राय व उसके हस्ताक्षर है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 राजबहादुर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.12.2023 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में कानि.चालक570 के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा संख्या 199/2023 अर्न्तगत धारा 279,337,338 भा.द.स. में जब्तशुदा एक वेगनॉर आरजे08 सीबी 6170 का थानाधिकारी पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मैकेनिकल मुआयना किया गया था। वेगनॉर को चलाकर चैक किया तो कार में आंतरिक खराबी नही थी। कार के सभी पुर्जे चालू हालात में थे। वेगनॉर के दाहिनी साईड पर रगड के निशान थे। मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिस पर उसके हस्ताक्षर होकर उसकी मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 04.10.2023 को थाना इन्द्रगढ़ पर ए.एस.आई. के पद पर पदस्थापित था व इन्चार्ज थाना भी था। उक्त दिनांक को प्रार्थीया गुड्डी बाई ने मय मनोज के थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर मु.नं. 199/2023 धारा 279, 337 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान बयान फरियादिया श्रीमती गुड्डी बाई, मनोज के उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये व घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका मुर्तिब किया व मोटरसाइकिल स्प्लेंडर क्षतिग्रस्त थी। मोटरसाईकिल के नं. आर.जे.28 एस.जेड. 1459 की फई डेमेज मुर्तिब कर शामील पत्रावली की और मोटरसाईकल के फोटो व कागजात शामिल पत्रावली किये। मजरूबान की चोटों का मेडिकल मुआयना रिपोर्ट एम.एल.ओ. साहब से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। एम.एल.सी. में चोट गंभीर होने से धारा 338 जोड़ी गयी। मजरूब सत्यनारायण बयान देने की स्थित में नहीं होने से बयान नहीं लिये जा सके। मजरूब सत्यनारायण के भर्ती कागजात जायसवाल हॉस्पिटल कोटा से प्राप्त कर शामील पत्रावली किये। प्रकरण में वांछित कार वेगनआर आरजे 08 सीबी 6170 के वाहन स्वामी जगदीश प्रसाद राठौर को धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया व वेगनआर कार आरजे 08 सीबी 6170 को प्रकरण हाजा में वांछित होने से मुताबिक फर्द जब्ती जब्त किया और थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ी करायी। कार के कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये व जब्तशुदा कार का मैकेनिक मुआयना करवाया गया। बयान नहीं देने वाले सत्यनारायण के फोटो शामिल पत्रावली किये गये। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम कार चालक जगदीश प्रसाद के विरूद्ध जुर्म धारा 279, 337, 338 आई.पी.सी. का जुर्म प्रमाणित पाया गया। मुल्जिम जगदीश प्रमाद के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। पत्रावली एस.एच.ओ. साहब को सुपुर्द की गयी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक, एफआईआर प्रदर्श पी 02, नक्शामौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 03, मोटरसाईकल स्पलैंडर जिसके नं– आरजे 28 एस.जेड. 1459 ब्लैक कलर की फर्द डैमेज तैयार की जो प्रदर्श पी 04 है। जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मजरूबान का डाक्टरी मुआयना व एक्सरे करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। उसने दिनांक 28.11.2023 को एम.एल.ओ. साहब सी.एच.सी. इन्द्रगढ़ को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें मजरूब सत्यनारायण की स्थिति अवगत कराने के लिए दिया, जो

प्रदर्श पी 14, वाहन स्वामी श्री जगदीश प्रसाद राठौर निवासी बून्दी को 133 एम. वी. एक्ट का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रकरण में वांधित वाहन वेगनआर कार आरजे 08 सीबी 6170 को जब्त कर फर्द जब्ती बनायी गयी जो प्रदर्श पी 16 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वाहन से संबंधित कागजात की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

17. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या दिनांक 01.09.2023 को जिस दुर्घटना में आहतगण सत्यनारायण व मनोज को साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई, वह उक्त दुर्घटना वाहन संख्या RJ08CB6170 के द्वारा कारित की गई है।** इस संबंध में फरियादीगण ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में स्पष्ट रूप से उक्त वाहन के नंबर बताते हुए उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर आहतगण की मोटरसाईकिल को टक्कर मारे जाने के संबंध में कथन किया है एवं चक्षुदर्शी साक्षी व आहत मनोज, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पी.ड.02 के रूप में परीक्षित कराया है, ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से उक्त वाहन संख्या आर.जे.08 सी.बी. 6170 के द्वारा टक्कर मारे जाने के संबंध में स्पष्ट कथन किया है। प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त साक्षी अपने मुख्य परीक्षण के कथनों पर अडिग रहते हुए कथन करता है कि उसने गाड़ी के नम्बर देख लिए थे। हालांकि प्रकरण के अन्य महत्वपूर्ण साक्षी व आहत सत्यनारायण की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त आहत न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, परन्तु साक्षी पी.ड.02 मनोज द्वारा उक्त वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता के संबंध में स्पष्ट कथन किये गये हैं। साथ ही उक्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना पी.ड.07 राजबहादुर के द्वारा किए जाने पर वेगनआर के दाहिनी साइड पर रगड़ के निशाने होने के संबंध में कथन किया है। ऐसे में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उससे यह साबित है कि वक्त दुर्घटना आहतगण सत्यनारायण व मनोज को गम्भीर चोटें कारित हुई, वह उक्त दुर्घटना वाहन कार संख्या RJ08CB6170 के द्वारा कारित की गई हैं।

18. **अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या वक्त दुर्घटना वाहन संख्या RJ08CB6170 को मुलजिम जगदीश प्रसाद राठौर चला रहा था।** इस संबंध में फरियादीगण ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में जिस वाहन के द्वारा

दुर्घटना कारित हुई, उसका रजि. नंबर बताया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट में कहीं भी वाहन चालक का नाम नहीं बताया गया है। घटना के चक्षुदर्शी साक्षी व आहत पी.ड.02 मनोज ने भी अपने संपूर्ण बयानों में कभी भी वाहन चालक का नाम नहीं बताया है, अपित प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का स्पष्ट कथन रहा है कि उसने गाड़ी वाले को नहीं देखा। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियुक्त जगदीश प्रसाद राठौर की पहचान दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक रूप में स्थापित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण साक्षी आहत सत्यनारायण की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बयान लेखबद्ध नहीं हो सके हैं तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्य किसी चक्षुदर्शी साक्षी को अभियोजन कथानक की पुष्टि हेतु पेश कर परीक्षित नहीं कराया गया है। जहां तक फरियादिया पी.ड.01 गुड्डी बाई की साक्ष्य का प्रश्न है, तो उक्त फरियादिया वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी तथा उक्त फरियादिया भी अपने बयानो में कहीं भी वाहन चालक का नाम नहीं बताती है। ऐसे में उक्त सभी परीक्षित गवाहों में से किसी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि वक्त दुर्घटना मुलजिम जगदीश प्रसाद राठौर ही उक्त वाहन को चला रहा था। चूंकि किसी भी अभियोजन साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक होना नहीं बताया गया है, ऐसे में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य महज औपचारिक प्रकृति की रह जाती है। ऐसे में अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि किस वाहन चालक के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित की गई।

19. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत State of Rajasthan Vs Kailash Chandra Criminal Leave to Appeal No. 61 of 2011 में निम्न रूप से प्रतिपादित किया है किः–

"However, none of the witnesses have been able to identify as to who the driver was at the relevant time. Moreover, since the driver was a total stranger to the eye-witnesses, even af- ter his arrest, he was not subjected to a test identification parade. Therefore, the prosecution has failed to prove the identity of the driver of the Mini-Truck. Merely because the owner has claimed that he was the driver, a presumption can- not be drawn that at the relevant time the vehicle was driven by the accused re- spondent. Hence, the trial Court was left with a serious doubt, as to who was dri- ing the Mini-Truck when the accident

had occurred. Therefore, the learned Judge had not other option, but to give the benefit of doubt to the accused respondent."

20. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 01.09.2023 को समय 03–04 पी.एम. के लगभग कोटा–दौसा मेगा हाईवे पर, टोल नाका के पास वाहन वेगनआर कार रजि. नं. आर. जे.08–सी.बी.–6170 का चालक होते हुए उसे गफलत व लापरवाही पूर्वक इस प्रकार चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापित होना संभाव्य था व तेज गति से चलाकर आहतगण सत्यनारायण व मनोज की की मोटरसाईकिल रजि. नं. आर.जे. 28–एस.जेड.–1459 के टक्कर मार दी जिसके फलस्वरूप आहतगण सत्यनारायण व मनोज के साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

21. परिणामस्वरूप **अभियुक्त जगदीश प्रसाद राठौर** पुत्र केसरीलाल निवासी कुम्हारों का चौक, तेलीपाड़ा पुलिस थाना कोतवाली, बून्दी जिला बून्दी (राज.) को अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

22. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

23. जब्तशुदा वाहन जो वाहन स्वामी को सुपुदर्गी पर दिया गया है, वह सुपुर्दगीदार के पास बना रहे व बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

24. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़